सराहनीय कार्य, जालौन पुलिस

दिनांक –21.04.2024

एसटीएफ लखनऊ एवं थाना एट पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अन्तर्गत धारा 420/467/468/471/34 भादवि व 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 में वांछित चल रहे 25,000 रूपये के इनामी अभियुक्त जनक राज शर्मा को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।

अवगत कराना है कि दिनांक 21.12.2023 को मुखबिर की सूचना पर थाना एट पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान एट टोल प्लाजा के पास एक ट्रक कंटेनर में 21,000 किलो संदिग्ध मांस बरामद हुआ था तथा प्रपत्रों की जांच में फर्जी कूट-रचित दस्तावेज एवं अवैध तरीके से परिवहन कर ले जाया जाना पाया गया था। उक्त वाहन को कब्जा पुलिस में लेते हुए थाना स्थानीय में मु0अ0सं0 210/23 धारा 420/467/468/471 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर संदिग्ध मांस को पशु चिकित्साधिकारी द्वारा सैंपलिंग कराकर परीक्षण हेतु भेजा गया था। परीक्षण रिपोर्ट में गोमांश की पुष्टि होने पर उपरोक्त मुकदमें में धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा धारा 34 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी थी। अभियोग में अभियुक्त जनक राज शर्मा लगातार फरार चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी हेतु 25,000/-रूपये का ईनाम घोषित किया गया था। आज दिनांक 21.04.2024 को एसटीएफ एवं थाना एट पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्त जनक राज शर्मा उपरोक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। उपरोक्त मुकदमें में 03 अभियुक्तगण को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

जनक राज शर्मा पुत्र देवी दत्त शर्मा नि0 मकान न0. M69 धरमपुर थाना नजबगढ़ दिल्ली साउथ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0- 210/2023 धारा – 420/467/468/471/34 भादवि व 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 थाना एट जिला जालौन।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:–

यू.पी. एसटीएफ लखनऊ व एट पुलिस जनपद जालौन।